

ग्रामीण सेवा शिविर-2025
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्त जिला राजसमन्त
 (पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कोम कोर्ट) कोम

आदेश :-

प्राणी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पहचारी
 व भू.अ.वि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार
 तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजसमन्त यू-राजसमन्त अधिनियम
 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम तहसील
 जिला राजसमन्त की जमाबन्दी संवत् में खाता संख्या में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजसमन्त रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजसमन्त रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
१.	सौनिगाणा	४५	दीपचन्द पुत्र राजलाल जाति- बौला	दीपचन्द पुत्र राजलाल जाति- रेगार

उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 348

दिनांक :- 11/10/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजसमन्त रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,